फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

गुरदीप सिंह आदि बनाम गुरमीत कौर आदि

किस्म मुकदमा:– 251–क आर०टी०ए० प्रकरण संख्या:– 263 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.10.24	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/पंजीकृत नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.10.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	
24.10.24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकाल उभय पक्ष हाजिर SDO सा० दौरे पर/~~अवकाश पर~~/ ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है पत्रावली दिनांक 12.11.24 को पेश हो। तहसीलदार से रिपोर्ट आप्त हो चुकी है	
12/11/24	वकील प्रार्थीगण उप. प्रति. क्र. 2-4 बावजूद Recd. नोटिस उपस्थित नहीं आये हैं अतः Exparty की जाती है शेष की कार्यवाही हेतु पत्रावली 02/12/24 को पेश हो।	
02/12/24	वकील प्रार्थीगण उप. उभय पक्ष ने उपस्थित होकर प्रारूप के संलग्न राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। वास्ते निर्णय पत्रावली DT. 06/12/24 को पेश हो।	गुरदीप सिंह, [illegible], जसवीर सिंह, बादल[illegible] सिंह, सुखविंदर सिंह, वकील सिंह; Identified by me to applicant No 1 to 6 only
06/12/24	बार सघ ने कार्य स्थगित रखा। SDO साहब ~~भ्रमण/अवकाश~~ पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो।	
11/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रा. पत्र मुताबिक [illegible] [illegible] पृथक निर्णय शामिल किया गया [illegible] हो। निर्णय उद्घोषित [illegible]। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	गुरमीत कौर, [illegible] 6340097170063 ([illegible] प्रति पत्नी), गोपाल सिंह, आधार नं. 9399 4654 8735; Gcms 2024/612

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2024.12.12 12:34:36 IST

Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

गुरदीप सिंह आदि बनाम गुरमीत कौर आदि

किस्म मुकदमाः– 251–क आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः– 263/2024 (GCMS No. 2024/612)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर0टी0ए0 प्रस्तुत कर अपने खातेदारी रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 के0एस0आर0 तहसील सूरतगढ़ के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.060 हैक्टर अ0क0बा0 ब0हि0बराबर खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के चक 2 के0एस0आर0 तहसील सूरतगढ़ के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर अ0क0बा0 खातेदारी कृषि भूमि में से 0.023 हैक्टर अ0क0बा0 में (इस किले के उत्तरी पासा में, पश्चिम से पूर्व दिशा लम्बाई में) गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 02.12.2024 को उभय पक्ष ने उपस्थित होकर दस्तावेज राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष द्वारा राजीनामा कर तहसील सूरतगढ़ के चक 2 के0एस0आर0 के मुरब्बा नं0 3 के पत्थर संख्या 46/332 के कि0नं0 1/2 की 0.228 हैक्टर अ0क0बा0–II रकबा जो अप्रार्थी संख्या–1 के नाम खातेदारी अंकित है में से 0.023 हैक्टर अ0क0बा0 खातेदारी (इस किले के उत्तरी पासा में पश्चिम से पूर्व लम्बाई में) को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने और बदला में प्रार्थीगण के नाम से इसी चक 2 के0एस0आर0 के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 कि0नं0 9, 12, 19, 22 प्रत्येक में 0.006 हैक्टर (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) कुल 0.024 हैक्टर अ0क0बा0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम अंकित करवाने का तय किया है। इसी अनुसार निर्णय करने का राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (गुरदीप सिंह वगैरा) स्वीकार कर प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 के0एस0आर0 तहसील सूरतगढ़ के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.060 हैक्टर अ0क0बा0 ब0हि0बराबर खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 (गुरमीत कौर) के नाम अंकित खातेदारी रकबा चक 2 के0एस0आर0 तहसील सूरतगढ़ के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर अ0क0बा0 खातेदारी कृषि भूमि में से 0.023 हैक्टर अ0क0बा0 में (इस किले के उत्तरी पासा में, पश्चिम से पूर्व दिशा लम्बाई में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावें। उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में प्रार्थीगण (गुरदीप सिह वगैरा) के नाम से इसी चक 2 के0एस0आर0 के मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 46/332 कि0नं0 9, 12, 19, 22 प्रत्येक में 0.006 हैक्टर (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) कुल 0.024 हैक्टर अ0क0बा0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या (गुरमीत कौर) के नाम खातेदारी अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाना सुनिश्चित करें। पत्र जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	9215 11.12.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:44:36 IST
Reason: SelfAttested